को 6 बिस्वा कम किया जाकर प्रार्थी की काश्तकारी नं. 1968 के रकबे में मिलाया जाकर प्रार्थी के नाम केवल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा की नकशा ईकाई में केवल किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी प्रकार शेष का रकबा प्रार्थी के नाम पर होने से नकशा ईकाई में संशोधन किया जावे तथा विपक्षी की काश्तकारी का रकबा 18 बिस्वा की भूमि नकशा ईकाई में दर्ज किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को डिक्रीनामा लिखा जावे। पत्रावली एकमत श्रवण की जाकर फैसला दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

2-8-18 दरखास्त प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151-152 जा.वी. का प्रस्तुत किये जाने के पत्रावली लिखित के तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। दरखास्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नाथित पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दरखास्त प्रार्थी ने बहस करनी चाही। दरखास्त प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान दरखास्त प्रार्थी ने कथन किया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-2-18 को पारित निर्णय है। बहस के हल्कीखुर्द के बजाय हल्कीला परवार हल्का हल्कीला लिख दिया गया है एक नकल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 12-2-18 में ग्राम हल्कीला परवार हल्का हल्कीला के बजाय हल्कीखुर्द परवार हल्का हल्कीला संशोधन कराया जाने की हल्फनामा भी। पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थना पत्र की एक नकल पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151-152 जा.वी. का स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा के निर्णय दिनांक 12-2-18 में ग्राम हल्कीला परवार हल्का हल्कीला के बजाय ग्राम हल्कीखुर्द परवार हल्का हल्कीला तहसील व जिला भीलवाड़ा के संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी प्रकार के संशोधन किया जाकर ग्राम हल्कीखुर्द परवार हल्का हल्कीला पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा पत्रावली एकमत श्रवण की जाकर इस बाद के साथ फैसला की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner